राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 2539
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

पौष 15, मंगलवार, शाके 1914—जनवरी 5, 1993
Pausa 15, Tuesday, Saka 1914—January 5, 1993

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

कार्मिक विभाग (क-II)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 5, 1992

जी.एस.आर. 41 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों को विनियमित करने हेतु, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992

भाग-I सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 है।

(ii) ये राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में:-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्य सेवा या पद के संबंध में सरकार अभिप्रेत है और अधीनस्थ सेवा या पद के संबंध में निदेशक, कम्प्यूटर अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "समिति" से नियम 8(i) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(घ) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग IV में विहित प्रक्रिया के अनुरूप की गई भर्ती अभिप्रेत है;

(ङ) "निदेशक" से कम्प्यूटर निदेशक, राजस्थान सरकार, अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिरिक्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन सेवा में के किसी पद पर अभिष्ठायी रुप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर रखा गया व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ज) "सेवा" से राजस्थान कम्प्यूटर राज्य सेवा और राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा, यथास्थिति, अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ट) "अभिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों के अधीन भर्ती की किसी भी विहित रीति से सम्यक् चयन किया जाकर किसी अभीष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों की अधीन की गई नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रुप में की गई ऐसी नियुक्ति भी आती है जिस पर परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति के पश्चात स्थायीकरण किया जाना हो;

टिप्पणी:- इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के अन्तर्गत, अजैन्ट अस्थाई नियुक्ति को छोडकर, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गई या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई भर्ती भी सम्मिलित होगी

(ठ) "सेवा" या "अनुभव" जहां कहीं भी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद को धारण करने वाले व्यक्ति की एक सेवा से दूसरी सेवा में अथवा सेवा में के एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रुप में इन नियमों में विहित हो तो इसमें वह कालावधि सम्मिलित होगी जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे पदों पर निरन्तर कार्य किया हो;

टिप्पणी:- सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थितियाँ भी उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन "ड्यूटी" के रुप में मानी गयी हैं, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रुप में गिनी जाएगी।

(ड) "वर्ष" से अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. **निर्वचन.-** जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. VIII) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी

प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग-II संवर्ग

4. **सेवा की संरचना एवं उसमें पदों की संख्या**- (1)सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में सम्मिलित पदों की प्रकृति इन नियमों की अनुसूची I और II के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्टानुसार होगी।

(2)सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए, परन्तु यह कि सरकार:-

(क) आवश्यक प्रतीत होने पर, कोई भी स्थायी या अस्थायी पद समय-समय पर सृजित कर सकेगी और उसी रीति से ऐसे किसी पद को किसी व्यक्ति को कोई प्रतिकर पाने का हकदार बनाये बिना समाप्त कर सकेगी, और

(ख) किसी स्थायी या अस्थायी पद को किसी व्यक्ति को प्रतिकर पाने का हकदार बनाये बिना समय-समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

5. **सेवा का गठन**- सेवा में निम्नलिखित होंगे:-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को अनुसूची I और II में विनिर्दिष्ट पद/पदों को अधिष्ठायी रुप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति;

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व सेवा में सम्मिलित पद/पदों पर भर्ती किए गए समस्त व्यक्ति; और

(ग) नियम 33 के अधीन अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति को छोड़कर इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए समस्त व्यक्ति।

भाग-III भर्ती

6. **भर्ती की रीतियाँ**- (1)इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में के पदों पर भर्ती अनुसूची I और II के स्तम्भ 3 और 4 में उपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित रीतियों से की जाएगी:-

(क) इन नियमों के भाग IV में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और

(ख) इन नियमों के भाग V में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा,

परन्तु यह कि-

(i) यदि आयोग से परामर्श करके, जहाँ परामर्श करना आवश्यक हो, नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि किसी वर्ष विशेष में भर्ती की किसी एक रीति से नियुक्ति की जाने के लिए उपबुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो नियुक्ति, विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, दूसरी रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट हैं;

(ii) नियम 5 के अधीन न आने वाले व्यक्ति, जो अनुसूची I और II में सम्मिलित किए गए पदों पर तदर्थ या स्थानापन्न या अर्जेन्ट अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए हों और जो इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि को कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर रुप से ऐसे पदों को धारण किए हुए हों, उनके द्वारा धारित पदों पर उनकी उपयुक्तता विनिर्णीत की जाने के लिए नियम 29 में निर्दिष्ट समिति द्वारा स्क्रीन किए जाऐंगे बशर्ते कि वे सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए नियमों में विहित की गई अपेक्षित अर्हताएं रखते हों या वे अपेक्षित अर्हताएं रखते हों जिनके आधार पर ऐसे व्यक्तियों का तदर्थ/ स्थानापन्न/अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति के लिए चयन किया गया था। यह उपबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्:-

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद, जिस पर वह प्रारम्भतः नियुक्त किया गया था, से उच्चतर किसी पद पर स्क्रीनिंग किए जाने का हकदार नहीं होगा यदि निचले पद पर उससे वरिष्ठ कोई व्यक्ति, जो पद की विहित अर्हताएं पूरी करता था, उसे यातो ऐसी तदर्थ नियुक्ति नहीं दी गई या वह इस नियम के अधीन स्क्रीनिंग किए जाने का हकदार नहीं था। इस प्रयोजन के लिएँ वरिष्ठता किसी पद पर की निरन्तर सेवा अवधि के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(ख) स्क्रीनिंग के द्वारा उपयुक्तता विनिर्णीत करने वाली इन नियमों के अधीनानियुक्त समिति, चाहे ऐसी स्क्रीनिंग भर्ती की साधारण रीतियों के अपवादस्वरुप हो अथवा सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गई हो, किसी भी कर्मचारी की बाबत, जिसने उस पद पर जिसके लिए उसका स्क्रीनिंग किया जाना है, तीन वर्ष से अधिक काम कर लिया हो परन्तु जिसके लिएँ उसे उपयुक्त विनिर्णीत न किया जाय और इसके बाद उसे निम्नतरपद पर भी नियुक्त होने का अधिकार न हो, अनुग्रह के रुप में यह सिफारिश कर सकेगी कि उसे ऐसे निम्नतर पद पर आमेलन द्वारा नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव कर दिया जाय। ऐसा होने पर ऐसा कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम, 1965 के उपबन्धों के अधीन अधिशेष कर्मचारी माना जायगा और उसे, समिति की सिफारिश

पर ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो उसके द्वारा अधिकथित की जांय, निम्नतर पद पर आमेलित किया जा सकेगा।

टिप्पणी:- नियम 6 के परन्तुक (ii) के अधीन की स्क्रीनिंग का उपबन्ध प्रथम उपाय के रुप में आशयित है तथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के कोटा का ध्यान रखे बिना स्क्रीन किये गये व्यक्तियों के लिये अपेक्षित रिक्तियाँ भरी जाने के पश्चात ही, सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटा लागू किया जायेगा।

*(2) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी आपातकाल के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति की भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें परन्तु इनको भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित विनियमित किया जायगा।

7. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** (1)अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार के ऐसे आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त हों चाहे भर्ती सीधी हो या पदोन्नति द्वारा।

(2)पदोन्नति के लिये इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियाँ वरिष्ठता एवं योग्यता तथा योग्यता के अधार पर भरी जायेंगी।

(3)इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियों को भरने के लिये उन पात्र अभ्यार्थियों के सम्बन्ध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में उनका रेंक कौनसा है इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिये विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिये आयोग के क्षेत्र में आने वाले पदों के लिए आयोग द्वारा और अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधकारी द्वारा और पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के मामले में, यथास्थिति, विभागीय पदोन्नति समिति या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4)नियुक्तियाँ सर्वथा सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये विहित अलग अलग रोस्टरों के अनुसार की जायेंगी। यदि किसी वर्ष विशेष में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो उनके लिये इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर लिया जायेगा तथा पश्चातवर्ती वर्ष में उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित की जायेंगी। ऐसी बिना भरी गई रिक्तियों को भर्ती के पश्चातवर्ती कुल तीन भर्ती वर्षों तक अग्रनीत किया जायेगा और इसके पश्चात् ऐसा आरक्षण समाप्त हो जायेगा।

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पदों या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/ग्रुप की रिक्तियों को जिन पर इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नतियां की जाती है, अपनीत नहीं किया जायेगा।

8. **राष्ट्रीयता**.- सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिये आवश्यक है कि वह:-

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) भारत में स्थायीरुप से बसने के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ड) भारतीय उद्‌भव का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के देश केनिया, युगाण्डा तथा तनजानीया गणतन्त्र (पूर्वतः टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी और इथियोपिया से आया हो;

परन्तु (ख)(ग)(घ) और (ड) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य किसी भर्ती प्राधकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

9. **अन्य देशों से भारत में स्थायी रुप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें**:- इन नियमों में किसी बात के होने हुए भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबन्धी उपबन्ध, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जांय और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किए गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

10. **रिक्तियों का अवधारण**.- (1)(क) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी, प्रतिवर्ष पहली अप्रेल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(ख) जहाँ कोई पद अनुसूची या नियम में विहित किसी रीति से भरा जाना हो तो इस प्रकार अवधारित रिक्तियाँ उसी रीति से भरी जाएंगी।

(ग) जहाँ कोई पद अनुसूची या नियमों में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहाँ उपरोक्त खण्ड (क) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पूर्व में भरे गए पदों की सम्पूर्ण संख्या के लिए विहित अनुपात को संधारित करते हुए ऐसी प्रत्येक रीति के लिए किया जाएगा। यदि उपरोक्त विहित तरीके से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात रिक्तियों का कोई भाग रह जाए तो इसे पदोन्नति कोटे को अधिमानता देते हुए निरन्तर चक्रीय क्रम के लिए [illegible]त विभिन्न रीतियों के कोटे में प्रभाजित किया जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पिछले वर्षों की रिक्तियों को भी जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना था, वर्षवार अवधारित करेगा, बशर्ते कि ऐसी रिक्तियाँ पहले अवधारित न की गई हों और उस वर्ष में जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गई हों।

11. **आयु**.- अनुसूची I में वर्णित एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर के पद पर की किसी भर्ती का अभ्यर्थी आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख के बाद आने वाले जनवरी माह के प्रथम दिन को 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए और अनुसूची II में वर्णित प्रोग्रामर, कम्प्यूटर ऑपरेटर और डाटाएन्ट्री ऑपरेटर के पद के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए लेकिन 33 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए:

परन्तु यह कि:-

(i) महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी;

(ii) उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iii) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iv) एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामलों में, उपर्युक्त अधिकतम आयु-सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा;

(v) राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी तौर से सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेण्ट अस्थाई नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी;

(vi) विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:-

यह कि विधवा को अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना होगा और विवाह विच्छिन्न महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(vii) रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

12. शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं एवं अनुभव:- अनुसूची I और II में प्रगणित पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:-

(i) इन नियमों की अनुसूची के स्तम्भ 5 में बतलाई गई अर्हताएं और अनुभव; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

13. **चरित्र**:- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसको उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए तथा साथ ही ऐसे ही दो प्रमाणपत्र जो उसके द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की तारीख से छः मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित न हों और न उसके रिश्तेदार हों।

टिप्पणी:-(1) न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि मात्र को सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिये और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध अपराधों या हिंसा या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो, तो केवल दोषसिद्धि को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिये।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और बाद के सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजनार्थ इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता

की कोई बात अन्तर्गस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा यदि वे पश्चातवर्ती देखरेखगृह के अधीक्षक की या किसी जिला विशेष में यदि ऐसे पश्चातवर्ती देखरेखगृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3)उन व्यक्तियों से जिन्हें ऐसे अपराधों के लिये जिनमें नैतिक अधमता अर्न्तग्रस्त है, पश्चातवर्ती देखरेख के अधीक्षक का, या जहां ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख नही हैं उस जिले के पुलिस अधीक्षक का,कारागार के महनिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चातवर्ती देखरेख गृह में अपने बाद के सदाचरण से यह साबित कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये है अतः वे नियोजन के लिये उपयुक्त हैं।

14. **शारीरिक योग्यता.**- सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रुप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक या शारीरिक नुक्स नही होना चाहिए जो उसके सेवा के सदस्य के रुप मे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाय तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पहले से ही सेवारत हैं और पूर्व नियुक्ति के समय उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही की जा चुकी है और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से एक समान है और आयु के कारण उसकी तत्प्रयोजनार्थ कार्यदक्षता में कोई कमी नहीं आयी है।

15. **अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.**- ऐसा अभ्यर्थी जो आयो[illegible]/नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रतिरुपण करने का अथवा बनावटी दस्तावेज जिनमें ग[illegible]ड की गई है, प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने का जो सही नहीं है या [illegible]मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में ना[illegible]वाजिब साधनों का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग करने का प्रयास करने का या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अनियिमित या अनुचित सा[illegible]न काम में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका है तो फौजदा[illegible] मुकदमा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसे:-

(क) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन के लिये सरकार द्वारा,

स्थायी तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये विनियमित किया जा सकेगा।

16. **संयाचना.**- सीधी भर्ती के लिये नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिये निरर्हित कर सकेगा।

भाग-IV सीधी भर्ती की प्रक्रिया

17. **प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकारी.**- (1)अनुसूची I में उल्लिखित पदों तथा अनुसूची II में उल्लिखित पदों, जो आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आते हों, पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होगी जिसका आयोजन आयोग द्वारा इन नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(2)उप नियम (1) में उल्लिखित पदों से भिन्न, अनुसूची II में उल्लेखित पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाएगी जिसका आयोजन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अनुसार किया जाएगा।

18. **परीक्षा का पाठ्य विवरण.**- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण क्रमशः अनुसूची III,IV,V,व VI में यथा विनिर्दिष्टानुसार होगा ।

19. **आवेदन आमंत्रित करना.**- सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विनिर्दिष्ट पदों के लिये सरकार/विभाग से अध्यपेक्षा प्राप्त होने के उपरान्त, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा हेतु राजपत्र में नोटिस प्रकाशित करवाकर या अन्य किसी रीति से जिसे कि आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त समझे, आवेदन आमंत्रित करेगा।

20. **नोटिस की विषयवस्तु तथा उससे संबंधित अनुदेश.**- (1)इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त नोटिस में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बातें भी होंगी:-

(i) प्रत्येक परीक्षा का परिणाम आ जाने पर विभिन्न सेवाओं में भरे जाने वाले पदों की संख्या, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए गये पदों की संख्या को अलग से दर्शाया जाएगा;

(ii) परीक्षा में प्रवेश हेतु किये जाने वाले आवेदनों को प्रस्तुत करने की तारीख;

(iii) परीक्षा में प्रवेश बैठने हेतु अपेक्षित अर्हताएं तथा अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही; और

(iv) परीक्षा की तारीख व स्थान।

(2)नोटिस के अलावा, आयोग/प्राधिकारी, यथास्थिति, अभ्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु ऐसे अनुदेश जिसमें पाठ्य विवरण भी सम्मिलित होगा, ऐसी रीति से जिसे आयोग/नियुक्तिप्राधिकारी, यथास्थिति, उपयुक्त समझे, जारी कर सकेगा।

21. **आवेदन का प्रारूप**- आवेदन, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा अनुमोदित प्ररुप में किया जाएगा जो आयोग के सचिव से या विभागाध्यक्ष के कार्यालय से ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो समय-समय पर आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा निश्चित की जाए, का संदाय करने के उपरान्त प्राप्त किया जा सकेगा।

22. परीक्षा फीस:- (1)सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी फीस का संदाय करेगा जो उनके द्वारा समय समय पर निश्चित की जाए तथा ऐसी रीति से करेगा जो उनके द्वारा दर्शायी जाए।

(2)परीक्षा फीस के प्रत्यर्पण का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और न फीस को किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित ही रखा जाएगा सिवाय जबकि विज्ञापन, अभ्यपेक्षा करनेवाले प्राधिकारी द्वारा अभ्यपेक्षा वापस लेने के कारण या अन्य किसी कारण से आयोग द्वारा निरस्त न कर दिया गया हो। इस स्थिति में राशि प्रत्यर्पित कर दी जाएगी। परन्तु आयोग द्वारा अभ्यर्थी को प्रत्यर्पण पत्र जारी किए जाने की तारीख से एक माह की कालावधि के पश्चात् फीस के प्रत्यर्पण की बाबत कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23. **परीक्षा में प्रवेश**- (1)आवेदन जो अपूर्ण पाए गए हों और जिन्हें, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार नहीं भरा गया हो, प्रारंभिक चरण पर ही उनके द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, शेष अभ्यर्थियों में से उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा अनन्तिम रुप से दे सकेगा जिन्हें प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी करना वह उपयुक्त समझे। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में नही बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा उस परीक्षा में बैठने के लिये जारी किया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो। परीक्षा में बैठने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वह आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, आदि, यदि कोई हो, से संबंधित शर्त, जैसी कि नियमों में उपबंधित की गई हो, पूरी करता है। परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दे देने मात्र से ही अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा कर लेने का हक प्राप्त नहीं हो जाता। आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, बाद में केवल उन अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लें और केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही मौखिक परीक्षा के लिए, यदि कोई हो, बुलाएगा।

(2)अभ्यर्थी का परीक्षा में प्रवेश, उसकी पात्रता तथा पारिणामिक रुप से मौखिक परीक्षा में प्रवेश की बाबत आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थति, का निर्णय अंतिम होगा ।

24. **व्यक्तित्व एवं मौखिक परीक्षा.**- वे अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा/गति परीक्षण में कुल मिलाकर 40% प्राप्त करेंगे उन्हें ही लिखित परीक्षा/गति परीक्षण में अर्हक अंक अभिप्राप्त किया हुआ समझा जाएगा। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा/गति परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 30% होंगे, जिन्हें निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् 32 अंक तक।

आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, स्वविवेक से प्रत्येक प्रश्न-पत्र में एक तथा कुल मिलाकर 3 तक अनुग्रह अंक प्रदान कर सकेगा। आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित परीक्षा/गति परीक्षण के लिए स्वविवेक से निश्चित किए जाने वाले न्यूनतम अर्हक अंक अभिप्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उसके द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण के प्रयोजन से साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकेगा। उनके द्वारा साक्षात्कृत प्रत्येक अभ्यार्थी को आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उनके चरित्र, व्यक्तित्व, संबोधन, शारीरिक योग्यता तथा राजस्थानी संस्कृति के ज्ञान की बाबत अंक प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार प्रदान किए गए अंक ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा/गति परीक्षण में अभिप्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

25. **आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश.**- (1)आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अभ्यार्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पद/ पदों पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त समझे, एक सूची योग्यता क्रम में तैयार करेगा तथा इसे सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, को अग्रेषित करेगा।

(2)आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम, विज्ञापित रिक्त पदों के 50% तक, आरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार को मूल सूची अग्रेषित की जाने की तारीख से 6 माह के भीतर अभ्यपेक्षा करने पर वह ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश योग्यता क्रम में नियुक्ति प्राधिकारी को कर सकेगा।

26. **अंकों का पुनर्योग.**- (1)आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसी कालावधि के दौरान जो आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने स्वविवेक से विनिश्चित की जाए, ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर जो आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का योग फिर से करने का आदेश दे सकेगा किन्तु उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की जाँच फिर से नहीं की जाएगी।

(2)आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसी गलतियों को दूर करने के लिए कदम उठा सकेगा जिनका पता उप नियम (1) के उपबन्धों के अनुसरण में फिर से योग किये जाने पर चले।

(3)इस सुधार के परिणाम स्वरुप यदि आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, को यह पता चले कि अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र हो गया है तो इस तथ्य की सूचना तुरन्त औ

किसी भी दशा में परिणाम घोषित हो जाने के 40 दिन से पूर्व सरकार को दे दी जाएगी और आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, को सिफारिश जो नियम 25 के अन्तर्गत की गई हो, उस सीमा तक उपान्तरित समझी जाएगी।

27. **नियुक्ति के लिए निरर्हता.**- (1)कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा सिवाए उस दशा के जब राज्य सरकार अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है किसी अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।

(2)कोई महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जब राज्य सरकार अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।

(3)कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ दहेज का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) में दिया गया है।

28. **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.**- (1)नियम 20 के अधीन जारी किये गए नोटिस में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अध्यधीन रहते हुए और अनुसूची I और II में सम्मिलित पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में पदों के आरक्षण के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों का चयन करेगा जिनका स्थान आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 25 के अधीन तैयार की गई सूची में योग्यता क्रम में सबसे ऊंचा हो:

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, समाधान न हो जाए कि ऐसा अभ्यर्थी सम्बन्धित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सब प्रकार से उपयुक्त है।

परन्तु यह और भी कि आयोग/नियुक्ति अधिकारी द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम अंतिम रुप से घोषित होने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूची I और II में विनिर्दिष्ट सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा नियम 25 के अधीन तैयार की गई सूची में से योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों का चयन अतिरिक्त रिक्तियों के प्रति रिक्तियों की उस संख्या के बराबर जो उन्होंने आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित की थी, कर सकेगा।

(2)यदि कोई व्यक्ति जो ऊपर उप नियम (1) के अधीन चयनित हो और संबंधित पद पर इन नियमों के अनुसार किसी वर्ष विशेष की रिक्तियों के प्रति, जिसके लिए इन नियमों के अनुसार आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा संचालित की गई थी, नियुक्त किया गया हो और यदि वह उसे दिए गए पद पर कार्य ग्रहण नहीं करता है या उसने त्याग पत्र दे दिया है या किसी पश्चातवर्ती वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उक्त रिक्ति को नई रिक्ति के रुप में माना जाएगा।

भाग-V पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

29. **समिति का गठन.**- समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा-

(क) आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदों के लिये:-

(i) आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य - अध्यक्ष

(ii) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव - सदस्य

(iii) कार्मिक विभाग (क-II) का विशिष्ट शासन सचिव या उसका कोई प्रतिनिधि जो कार्मिक (क-II) विभाग में उप शासन सचिव की रैंक से नीचे का न हो - सदस्य

(iv) उप सचिव-कम-निदेशक, कम्प्यूटर्स - सदस्य सचिव

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र में न आने वाले पदों के लिए:-

(i) उप सचिव-कम-निदेशक, कम्प्यूटर्स - अध्यक्ष

(ii) कार्मिक विभाग का उप शासन सचिव - सदस्य

(iii) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - सदस्य

(iv) सिस्टम एनालिस्ट - सदस्य सचिव

30. **पदोन्नति के लिए पात्रता, कसौटी और प्रक्रिया.**- (1)ज्योंही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के नियम 10 के अधीन रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चित करे कि अमुक संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं तो वह उप-नियम (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए वरिष्ठतम व्यक्तियों की, जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद-वर्ग में वरिष्ठता एवं योग्यता या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं, सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा।

(2)चयन वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अनुसूची I और II के स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएँ और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए, स्तम्भ 6 में प्रगणित पदों के धारक व्यक्ति, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किये गये पदों पर स्तम्भ 4 में उपदर्शित सीमा तक, पदोन्नति के पात्र होगे।

(3)किसी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सेवा में के निम्नतम पद पर अधिष्ठायी रुप से नियुक्त तथा स्थायी न हो। सेवा में प्रथम पदोन्नति के पश्चात् सेवा के उच्चतर पदों पर पश्चातवर्ती पदोन्नतियों के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो ऐसे पद पर, जिस पर से पदोन्नति होती है, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन के पश्चात् नियुक्त हुआ हो।

परन्तु यह कि यदि सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए निम्नतम पद पर अधिष्ठायी रुप से नियुक्त तथा स्थायी हुए व्यक्ति रिक्तियों की संख्या के बराबर उपलब्ध न हों तो ऐसे व्यक्ति भी, जो सेवा में के निम्नतम पद पर इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति के अनुसार चयन के पश्चात् नियुक्त किये गए हों, पात्र होंगे बशर्ते कि वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों।

स्पष्टीकरण:- यदि किसी वर्ष विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती पदोन्नति द्वारा नियमित चयन से पूर्व कर ली गई हो तो ऐसे व्यक्तियों जो भर्ती की दोनों रीतियों से नियुक्ति हेतु पात्र हैं या पात्र थे और जिन्हें प्रथमतः सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था, की बाबत भी पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।

(4)पदोन्नति की नियमित पंक्ति में सेवा में सम्मिलित नहीं किए गए पद/पदों से सेवा के निम्नतम पद या पद प्रवर्ग पर पदोन्नति हेतु चयन योग्यता और वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर 50:50 के अनुपात में किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि समिति का समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष विशेष में पूर्णतः योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो पदोन्नति हेतु चयन इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट रीति से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जा सकेगा।

(5)राज्य सेवा के निम्नतम पद या पदप्रवर्ग में से राज्य सेवा के अगले उच्चतर पद या पदप्रवर्ग में तथा अधीनस्थ सेवा के समस्त पदों पर पदोन्नति हेतु चयन सर्वथा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

परन्तु सेवा की अपेक्षित कालावधि के व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में समिति सेवा की विहित कालावधि को उन व्यक्तियों के मामले में शिथिल कर सकेगी जिन्हें पदोन्नति हेतु अन्यथा उपयुक्त पाया जाए।

स्पष्टीकरण:- यदि सेवा के पद प्रवर्ग में पदोन्नति हेतु उपलब्ध पद विषम संख्या में हों तो वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर 50:50 के अनुपात में पदोन्नति

द्वारा चयन हेतु रिक्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ निम्न लिखित चक्रीय क्रम अपनाया जायेगा:

प्रथम रिक्ति : वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा;

पश्चातवर्ती रिक्ति : योग्यता द्वारा;

और यही चक्रीय क्रम चलता रहेगा।

(6)पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या सीमा निम्न प्रकार होगी:-

(i) **रिक्तियों की संख्या**	**विचार किये जाने के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या**
(क) एक रिक्ति होने पर	पाँच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियाँ होने पर	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियाँ होने पर	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियाँ होने पर	रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।

(ii)जब उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिदिष्ट संख्या से कम हो तो इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जाएगा।

(iii)जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, यथास्थिति, के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या-सीमा के भीतर उपलब्ध न हों तो विचार की संख्या-सीमा को रिक्तियों की संख्या के पाँच गुना तक बढाया जा सकेगा और इस प्रकार विस्तारित संख्या-सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, यथास्थिति, (अन्य कोई नहीं) के अभ्यार्थियों के बारे में भी, उनके लिए आरक्षित की गई रिक्तियों के प्रति विचार किया जाएगा।

(7)(क)समिति उन समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के बारे में विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबन्धित पदों के वर्ग में पदोन्नति हेतु पात्र और अर्ह हों और समिति उन व्यक्तियों के नामों की एक सूची इन नियमों में "रिक्तियों के अवधारण" से सम्बन्धित नियम के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर तैयार करेगी जिन्हें इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति कसौटी के अनुसार वरिष्ठता एवं योग्यता तथा/या योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाया गया हो। वरिष्ठता एवं योग्यता तथा/या योग्यता, यथास्थिति, के आधार पर तैयार की गई सूची को पदों के प्रवर्ग, जिन पर से चयन किया गया हो, की वरिष्ठता के अनुसार क्रमबद्ध रुप में रखा जाएगा।

(ख)समिति इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता एवं योग्यता तथा/या योग्यता, यथास्थिति, के आधार पर एक पृथक सूची भी तैयार करेगी जिसमें अस्थाई या स्थाई रिक्तियों, जो बाद में हुई हों, को भरने के लिए ऊपर (क) के अधीन तैयार की गई सूची में बतलाई गई चयनित व्यक्तियों की संख्या के बराबर नाम होंगे। वरिष्ठता एवं योग्यता तथा/या योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गई

सूची को पद-प्रवर्ग, जिस पर से चयन किया गया हो, की वरिष्ठता के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा। ऐसी सूची को उस विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पुनरीक्षित तथा संशोधित किया जाएगा जिसकी बैठक पश्चातवर्ती वर्ष में हो और यह कि ऐसी सूची अगले वर्ष के अन्तिम दिन तक या विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने तक, जो भी पहले हो, प्रवृत्त बनी रहेगी।

(ग)ऐसी सूचियाँ, सूचियों में सम्मिलित किए गए समस्त अभ्यर्थियों और उन अभ्यर्थियों जिनका चयन नही किया गया हो, यदि कोई हो, के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन/वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तथा अन्य सेवाभिलेख के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

> **स्पष्टीकरण**:- योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जा सकेगा जिसका उस वर्ष, जिसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो रही है, से पूर्ववर्ती 7 वर्षों में से कम से कम 5 वर्षों का अभिलेख "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" का न हो।

(४)इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात् यदि किसी पूर्वतन वर्ष से संबंधित ऐसी रिक्तियाँ, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है, नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन किसी पश्चातवर्ती वर्ष में अवधारित की जायें तो विभागीय पदोन्नति समिति उस वर्ष, जिस वर्ष में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई है, का विचार किए बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष जिससे रिक्तियाँ संबंधित हैं, में पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियाँ उस वर्ष विशेष, जिससे ऐसी रिक्तियाँ सम्बन्धित हों, में लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा शासित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किए गए पदधारी की उस कालावधि के सेवा/अनुभव को जिसमें उसने उस पद का वास्तव में कार्य नहीं किया है जिस पर कि वह पदोन्नत किया गया है उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गए व्यक्ति का वेतन उस वेतन पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा जो उसने अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त किया होता। लेकिन वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(५)सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख पर स्पष्ट रुप से गोचर होने वाली कुछ गलतियों या त्रुटियो के कारण अथवा किसी तथ्यात्मक भूल के कारण जिसकी वजह से विभागीय पदोन्नति समिति का निर्णय सारतः प्रभावित होता हो अथवा अन्य किसी पर्याप्त कारण से, उदाहरण के लिए- वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/अनुदेश या किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया जाना या उसकी प्रखरता को कम कर दिया जाना या उसे दिया गया दण्ड अपास्त करना या उसे कम कर देना, पहले हुई विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही का पुनरीक्षण किए जाने का आदेश दे सकेगा। पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाने से पूर्व

कार्मिक विभाग तथा आयोग (जब आयोग को सहबद्ध किया गया हो) की सहमति सदैव अभिप्राप्त की जाएगी।

(10) यदि आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो तो समिति द्वारा तैयार की गई सूचियाँ, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, की वैयक्तिक फाइलों तथा वर्षिक गोपनीय पंजियों सहित, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(11) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों पर नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ विचार करेगा और यदि उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझे तो उन सूचियों का अनुमोदन कर देगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों को यदि कोई हो, महत्व देते हुए नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरों सहित जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रुप से अनुमोदन कर देगा लेकिन जब नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार का अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

(12) पूर्ववर्ती उपनियम (11) के अधीन अंतिम रुप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों में से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियाँ उसी क्रम में की जाएँगी जिस क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गए हैं, जब तक कि ऐसी सूचियाँ, यथास्थिति, निःशेष न हो जाएँ या उन्हें पुनर्विलोकित एवं पुनरीक्षित न कर लिया जाए।

(13) सरकार, उन व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक विषयों को, न्यायसंगत और उचित रीति से, अनन्तिम तौर पर, निपटाने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी, जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध उस समय विभागीय कार्यवाही चल रही हो जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार हो रहा हो जिसके वे पात्र हैं या यदि वे निलम्बित न होते या उनके विरुद्ध ऐसी जाँच या कार्यवाही लम्बित न होती तो, पात्र हुए होते।

I. **पदोन्नति छोड देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निबन्धन.**- विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अगले उच्चतर पद पर अर्जेन्ट अस्थाई या नियमित चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हो जाने पर यदि कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति को छोड देता है तो उसकी पदोन्नति द्वारा पुनः नियुक्ति (विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति या नियमित भर्ती दोनों ही के मामले में) की जाने की बाबत एक वर्ष की कालावधि के पश्चात् ही विचार किया जायगा।

भाग-VI नियुक्ति, परिवीक्षा और वरिष्ठता

32. **सेवा में नियुक्ति.**- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती या पदोन्नति, यथास्थिति, द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, अधिष्ठायी रिक्तियाँ होने पर नियम 25 के अधीन योग्यता के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों में से तथा इन नियमों के नियम 30 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा तथा इन नियमों के नियम 6 के परन्तुक (ii) के अधीन उपयुक्त माने गये व्यक्तियों में से, की जायगी।

33. **अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति.**- (1)सेवा में की कोई रिक्ति जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे अधिकारी की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न रुप से नियुक्ति करके या जब सीधी भर्ती नियमों के अधीन उपबंधित हो, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो सेवा में सीधी भर्ती का पात्र हो, अस्थायी रुप से नियुक्ति करके, भरा जायगा।

परन्तु यह कि-ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिये, जब ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्देशित किये बिना एक वर्ष से अधिक कालावधि तक चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इन्कार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवा के किसी मामले में सरकार के कार्मिक विभाग की तथा अधीनस्थ सेवा के सम्बन्ध में सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की विशिष्ट अनुमति के बिना सेवा के किसी पद पर जिसके लिए भर्ती की उपर्युक्त दोनों रीतियां विहित हो, सीधी भर्ती के कोटा की कोई अस्थायी रिक्ति पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा उस सूरत के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों में से भरी जायं, तीन मास से अधिक कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2)पदोन्नति केलिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में सरकार, उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्त के बावजूद भी, वेतन तथा अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जो वह निर्देशित करे, अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अभिकथित कर सकेगी। ऐसी नियुक्तियां, जैसा कि उक्त उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित है, आयोग की सहमति के अध्यधीन होगी।

34. **वरिष्ठता.**- सेवा में के निम्नतम पद पर या सेवा में के प्रत्येक ग्रप/अनुभाग में के निम्नतम पद प्रवर्गों, यथास्थिति, पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उक्त पदों पर ऐसे व्यक्तियों

के स्थायीकरण की तारीख से अवधारित की जाएगी किन्तु सेवा में के अन्य उच्चतर पदों पर या सेवा में प्रत्येक ग्रुप/अनुभाग में के अन्य उच्चतर पद-प्रवर्गों, यथास्थिति, पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता ऐसे पदों पर उनके नियमित चयन की तारीख से अवधारित की जाएगी;

परन्तु:

(i) यह कि नियम 6 (i) (ii) के अधीन स्क्रीन किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता इन नियमों के प्रारम्भ होने की तिथि तक सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियमित रुप से नियुक्त किए गए समस्त व्यक्तियों के नीचे निश्चित की जाएगी और इन व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता तदर्थ या स्थानापन्न हैसियत में अथवा अर्जेन्ट अस्थाई आधार पर की गई निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार समिति द्वारा अवधारित की जाएगी।

(ii) यह कि प्रवर्ग विशेष में के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोडकर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव कियागया हो किन्तु जिन्होंने नियुक्ति के आदेश की तारीख से छः सप्ताह के भीतर और यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कालावधि बढ़ाई गई हो तो ऐसी बढ़ाई हुई कालावधि के भीतर सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 25 के अधीन बनाई गई सूची में रखे गए है:

(iii) यदि एक ही वर्ष में सेवा के किसी पद पर दो या अधिक व्यक्ति नियुक्त किए गए हों तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

(iv) ऐसे चयन, जो पुनर्विलोन एवं पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, के परिणामस्वरुप चयनित और नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से जो पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्परुप चुने तथा नियुक्त किए गए हों वरिष्ठ होंगे।

वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर तथा योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो ठीक नीचे की ग्रेड में उनकी है।

35. **परिवीक्षा की कालावधि.**- (1)किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए समस्त व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाएँगे और जो व्यक्ति किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाएँ उन्हें, एक वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा;

परन्तु यह कि-

(i) उनमें से ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने किसी स्थायी रिक्ति पर पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा हुई नियुक्ति से पूर्व ऐसे पद पर अस्थाई तौर पर या स्थानापन्न

रुप में कार्य किया हो जिस पर बाद में उनका नियमित चयन हो गया तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे स्थानापन्न या अस्थाई सेवाकाल को परिवीक्षाकाल में समायोजित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु ऐसा करने से किसी वरिष्ठ व्यक्ति का अधिक्रमण नहीं होगा या संबंधित कोटा में उनके अधिमान क्रम में परिवर्तन नहीं होगा या भर्ती में आरक्षण प्रभावित नहीं होगा।

(ii) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि जिसमें कोई व्यक्ति, तत्समान या उच्चतर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जाएगी।

(2)उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षाकाल की कालावधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति को ऐसी विभागीय परीक्षा पास करनी होगी और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जो सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण:- उस व्यक्ति का, जिसकी मृत्यु हो जाए या जो अधिवार्षिकि आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को हो, परिवीक्षाकाल इतना कम कर दिया जाएगा कि यह उसकी मृत्यु या राज्य सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक दिन पूर्व समाप्त हो जाए। स्थायीकरण के लिए नियम में विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की दशा में अभित्यक्त समझी जाएगी।

36. **कतिपय मामलों में स्थायीकरण.**- (1)पूर्ववर्ती नियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी पद पर अस्थाई या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी कर्मचारी को, जिसे इन नियमो के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने के बाद सेवा में दो वर्ष की कालावधि पूर्ण करने पर अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने के बाद उसके द्वारा सेवा में एक वर्ष की कालावधि पूर्ण करने पर यदि छः माह की कालावधि के भीतर स्थाई न किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थाई माने जाने का हकदार होगा, यदि:-

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो अथवा वह कार्य करता यदि वह प्रशिक्षण या प्रतिनियुक्ति पर न होता;

(ii) उसने इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए स्थायीकरण से सम्बन्धित नियम के अधीन विहित शर्तों की पूर्ति की हो; और

(iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2)ऊपर उप नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरी करने में असफल रहता है तो ऊपर उप नियम (1) में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 या अन्य किन्हीं नियमों में यथा विहित कालावधि तक या एक वर्ष तक जो भी अधिक हो बढाया जा सकेगा।

यदि यह कर्मचारी अभी भी ऊपर उपनियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से उन्मोचित या हटा दिये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उन्मोचित या हटाया जाता है अथवा उसे उस अधिष्ठायी पद या निम्नतर पद, यदि कोई हो, पर पदावनत किया जा सकेगा जिसके लिए वह हकदार है।

(3)ऊपर उप नियम(1) में निर्दिष्ट कर्मचारी उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रुप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किए गए हों।

(4)ऊपर उप नियम(1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण:- (i)इन नियम के प्रयोजन हेतु नियमित भर्ती से अभिप्रेत है:-

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, भर्ती को किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गई नियुक्ति;

(ख) उस पद पर नियुक्ति जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हों, यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो तो भर्ती आयोग के परामर्श से की गई हो;

(ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जबकि सेवानियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रुप से अनुज्ञात करते हों;

(घ) व्यक्ति जिन्हें इन नियमों के अधीन अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो नियमित रुप से भर्ती किए हुए समझे जाएंगे;

परन्तु यह कि इसमें ऐसी अजेन्ट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

(ii)किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण हेतु पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थाई नियुक्ति के दो वर्ष व्यतीत होजाने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्वपद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जाएगा।

37. **परिवीक्षाकाल के दौरान असन्तोषप्रद प्रगति**.- (1)यदि नियुक्ति प्राधिकारी को, परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी भी समय ऐसा प्रतीत हो कि सेवा के किसी सदस्य ने उसको दिये गये अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह

संतोषप्रदान करने में विफल रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, नियुक्ति से ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रुप से धारित पद पर, प्रतिवर्तित कर सकेगा बशर्ते उस पद पर उसका धारणाधिकार हो और अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुख कर सकेगा या असकी सेवा समाप्त कर सकेगा:

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तो वह किसी मामले में या मामले के किसी वर्ग में सेवा के किसी सदस्य के परिवीक्षाकाल को, ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए जो सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में दो वर्ष तक या ऐसे पद पर पदोन्नति/विशेष चयन द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में एक वर्ष तक हो, बढा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति, यथास्थिति, के व्यक्तियों के मामलों में परिवीक्षाकाल को एक बार में एक वर्ष तक और कुल मिलाकर तीन वर्ष तक बढा सकेगा।

(2)उपरोक्त उपनियम (1) में किसी भी बात के होते हुए यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षाकाल के दौरान निलम्बित कर दिया जाय या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाना अनुध्यात हो या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हो तो उसका परिवीक्षाकाल ऐसी कालावधि तक, जो नियुक्ति प्राधिकारी उन परिस्थितियों में उचित समझे, बढाया जा सकेगा।

(3)परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर उपनियम (1) के अधीन प्रतिवर्तित या सेवोन्मुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिकार पाने का हकदार नहीं होगा।

38. **स्थायीकरण**.- नियम 35 के अधीन परिवीक्षा पर रखा गया व्यक्ति परिवीक्षावधि की समाप्ति पर अपनी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जाएगा यदि-

(क) उसने विभागीय परीक्षा पास करली हो और ऐसा प्रशिक्षण जैसा कि नियम 35 के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट है, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता सम्बन्धी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करली हो, और

(ग) सरकार का विश्वास हो गया हो कि उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है और यह कि वह अन्यथा स्थायीकरण के योग्य है।

भाग - VII वेतन

39. **वेतनमान**.- सेवा के किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के मासिक वेतन का मान वह होगा जो नियम 41 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाए।

40. **परिवीक्षाकाल के दौरान वेतनवृद्धि**- परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा की कालावधि के दौरान उसे अनुज्ञेय वेतनमान में राजस्थान सेवा नियम, 1951, के उपबंधों के अनुसार वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा।

41. **वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन आदि का विनियमन**- इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय सेवा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्न लिखित द्वारा विनियमित होंगी:-

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम, 1950, समय-समय पर यथा संशोधित;

(2) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा संशोधित;

(3) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान युक्तियुक्तकरण) नियम, 1956, समय-समय पर यथा संशोधित;

(4) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथा संशोधित;

(5) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1961, समय-समय पर यथा संशोधित;

(6) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथा संशोधित;

(7) राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम, 1969, समय-समय पर यथा संशोधित;

(8) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित नवीन वेतनमान) नियम, 1976, समय-समय पर यथा संशोधित;

(9) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान), नियम, 1983, समय-समय पर यथा संशोधित;

(10) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1987 और 1989, समय-समय पर यथा संशोधित;

(11) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971,

(12) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कोई अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों और तत्समय प्रवृत्त हों।

42. **शंकाओं का निराकरण**- यदि इन नियमों के लागू करने, इनके निर्वचन और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्देशित किया जाएगा और ऐसे मामले में उनका विनिश्चय अंतिम होगा।

43. **निरसन और व्यावृत्ति**- इन नियमों में समाविष्ट मामलों से संबन्धित समस्त नियम तथा आदेश, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के तुरन्त पूर्व प्रवृत्त थे, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं;

परन्तु, यह कि इस प्रकार अतिष्ठित नियमों और आदेशों के अधीन की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

44. **नियमों के शिथिलीकरण के शक्ति.-** अपवाद सापेक्ष मामलों में यदि सरकार के प्रशासनिक विभाग का समाधान हो जाए कि भर्ती के विषय में आयु या अनुभव की अपेक्षाओं के कारण किसी विशेष मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठोरता होती है या जहाँ सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के सम्बन्ध में इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति तथा आयोग के परामर्श से आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से अभिमुक्त कर सकेगी या उन्हें ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माना जाए; अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी या उन्हें शिथिल कर सकेगी परन्तु शर्त यह है कि ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से ही अन्तर्विष्ट उपबन्धों की तुलना में कम हितकर न हो। शिथिलीकरण विषयक ऐसे मामले राजस्थान लोक सेवा आयोग को, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्देशित किए जाएंगें।

अनुसूची I (राज्य सेवा के पद)

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित सीधी	पदोन्नति	सीधी भर्ती के लिए अर्हता एवं अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सिस्टम एनालिस्ट	—	100%	—	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष की सेवा	—
2.	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर	50%	50%	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का गणित, या सांख्यिकी या कम्प्यूटर विज्ञान सहित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य मानी गई कोई विदेशी अर्हता तथा सिस्टम एनालिसिस तथा डिजाइन तथा प्रोग्रामिंग लेंग्वेज में छः माह का औपचारिक प्रशिक्षण। अथवा सिस्टम में विशेषीकरण के साथ व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर। 2. कम्प्यूटर फील्ड में पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम्प्यूटर एप्लीकेशन के डिजाइनिंग और डवलपिंग का तथा बेसिक, कोबोल/फोरट्रान में प्रोग्रामिंग का कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। परन्तु यह कि यदि विहित अनुभव वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो फील्ड अनुभव सम्बन्धी शर्त को कम करके तीन वर्ष किया जा सकेगा जिसमें कम्प्यूटर एप्लीकेशन के डिजाइनिंग और डवलपिंग का तथा बेसिक, कोबोल/फोरट्रान में प्रोग्रामिंग का व्यवहारिक अनुभव कम से कम दो वर्ष का होना चाहिए।	प्रोग्रामर	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा	

अनुसूची II (अधीनस्थ सेवा के पद)

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्रोत प्रतिशत सहित सीधी	पदोन्नति	सीधी भर्ती के लिए अर्हता एवं अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रोग्रामर	60%	40%	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का गणित या सांख्यकी या कम्प्यूटर विज्ञान या अर्थशास्त्र या वाणिज्य एक विषय के साथ स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य मानी गई कोई विदेशी अर्हता तथा किसी संस्थान से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जैसे कि बेसिक, कोबोल/ फोरट्रान में छः माह का औपचारिक प्रशिक्षण और उपरोक्त लैंग्वेजेज में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का दो वर्ष का अनुभव। परन्तु यह कि विहित अनुभव वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो लैंग्वेजेज जैसे कि बेसिक, कोबोल/ फोरट्रान में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के अनुभव वाली शर्त को कम करके एक वर्ष तक किया जा सकेगा।	कम्प्यूटर आपरेटर	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा	
2.	कम्प्यूटर आपरेटर	50%	50%	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का विज्ञान या गणित या सांख्यकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र के साथ स्नातक अथवा सरकार द्वारा इसके समतुल्य मानी गई कोई विदेशी अर्हता तथा डाटाएन्ट्री मशीनों तथा कम्प्यूटर टरमिनलों के प्रयोग का एक वर्ष का अनुभव।	डाटाएन्ट्री आपरेटर	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा	
3.	डाटाएन्ट्री आपरेटर	100%		भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक अथवा सरकार द्वारा इसके समतुल्य मानी गई कोई विदेशी अर्हता तथा डाटाएन्ट्री मशीन पर प्रति घंटा 8000 डिप्रेशन की गति।	—	—	

अनुसूची-III
(देखिये नियम-18)

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर्स प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और प्रश्न पत्रों का विस्तार

I. अभ्यर्थी को समस्त प्रश्न पत्रों में बैठना होगा प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अनुज्ञात समय 2 घंटे का होगा।

प्रश्न पत्रों का नाम:-	**अंक**
(i) फण्डामेन्टल्स ऑफ कम्प्यूटरर्स एण्ड प्रोग्रामिंग लॉजिक	45
(ii) सिस्टम एनालिसिस एण्ड डिज़ाइन	45

प्रश्न पत्रों का विस्तार

प्रश्न पत्र- I फण्डामेन्टल्स ऑफ कम्प्यूटर्स एण्ड प्रोग्रामिंग लॉजिक

इवोल्यूशन ऑफ हार्डवेयर टेक्नॉलोजी, डेफिनेशन एण्ड फंक्शन्स ऑफ वेरियस कम्पोनेन्ट्स, प्राईमरी एण्ड सैकण्डरी स्टोरेज़ कोन्सेप्टस, इनपुट/आउटपुट डिवाइसेज़ एण्ड देयर फंक्शन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्यूटरर्स एण्ड रिलेटेड केरेक्टरिस्टिक्स, डाटा कम्यूनीकेशन्स सिस्टम्स एण्ड नेटवर्क-लेन/वेन, डिफ्रेन्ट मोड ऑफ प्रोसेसिंग-टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग।

इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, लो एण्ड हाई लेवल लेग्वेज़ेज, केरेक्टरिस्टिक्स एण्ड डिफ्रेन्स इन सिस्टम एण्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।

प्रोग्राम कम्पाइलर्स एण्ड इन्टरप्रेटर्स, कन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्राम लॉजिक एण्ड टेक्निक्स, प्रोग्राम एल्गोरिथम, स्टेक्चर्ड प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट, डाटा स्ट्रेक्चर्स-ट्री, क्यूज़ लिस्ट, ऐरे, याफस, डाटा सोर्टिंग एण्ड मर्जिंग, फाइल आर्गेनाईज़ेशनस एक्सेस मैकेनिज्म ऑफ फाइल्स, नम्बर सिस्टम्स।

इवोल्यूशन ऑफ पर्सनल कम्प्यूटर्स टेक्नॉलोजी, फीचर्स/केरेक्टरस्टिक्स ऑफ पर्सनल कम्प्यूटर्स, केरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल पेकेज़ेज ओन पर्सनल कम्प्यूटर्स, पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक डोस, यूनिक्स/जेनिक्स एक्सेक्ट्रा एण्ड ऑपरेशन्स।

पेपर-II सिस्टम एनालेसिस एण्ड डिज़ाइन

सिस्टम कन्सेप्ट, रोल ऑफ सिस्टम एनेलिस्ट, कम्यूनीकेशन स्किल्स, सिस्टम प्लानिंग, ओब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम इनवेस्टीगेशन, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टीगेशन, रिकोर्डिंग द इन्वेस्टीगेशन, लॉजीकल एण्ड फिज़ीकल सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेन्टेशन ऑफ सिस्टम, मेन्टेनेन्स ऑफ द सिस्टम, डॉक्यूमेन्टेशन स्टेन्डर्डस एण्ड सिस्टम ऑडिट।

डाटा बेस मेनेज़मेन्ट सिस्टम, मेनेज़मेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम, पर्सनल इन्फोरमेशन सिस्टम, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, कम्प्यूटर सेन्टर आर्गेनाइज़ेशन, कन्सेप्ट ऑफ एफीसेन्ट यूज़ ऑफ ए कम्प्यूटर सिस्टम।

2.व्यक्तित्व एवं मौखिक परीक्षा (देखिये नियम सं. 24)

(1) अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में इतने न्यूनतम अर्हक अंक अभिप्राप्त किये हों जितने आयोग द्वारा निर्धारित किये जाय उन्हें, आयोग द्वारा स्वविवेक से, साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा जो 10 अंक का होगा।

(2) प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा-अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतलाई गई है। परन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।

(3) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे। परन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिये अनुज्ञात न किया गया हो।

(4) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से इस कारण कुछ अंकों की, जो अन्यथा उसे प्रोद्भूत होते, कटौती कर दी जायेगी।

(5) परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गई सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

अनुसूची-IV

(देखिये नियम-18)

प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण तथा प्रश्न पत्रों का विस्तार

1. अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये 2 घंटे का समय अनुज्ञात होगा।

प्रश्नपत्रों के नाम	अंक
(i) कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त और योग्यता परीक्षण	45
(ii) प्रोग्रामिंग	45

प्रश्नपत्रों का विस्तार

प्रश्नपत्र-I कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त और योग्यता परीक्षण

भाग-I योग्यता परीक्षण

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजीकल रीजनिंग और एनालीटिकल रीजनिंग।

भाग-II कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त

इवोल्यूशन ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, डैफीनीशन एन्ड फंक्शंस ऑफ वैरियस कम्पोनेन्टस, प्राइमरी एंड सैकण्डरी स्टोरेज कन्सैप्टस, इन्पुट/आउटपुट डिवाइसेस एन्ड देयर फंक्शन्स, क्लासीफिकेशन आफ कम्प्यूटर्स एंड रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स।

इवोल्यूशन ऑफ सोफ्टवेयर टैक्नोलोजी, आपरेटिंग सिस्टम, लो एन्ड हाई लेवल लैंग्वेजेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एन्ड डिफ्रैन्सेज इन सिस्टम एन्ड एप्लीकेशन्स सोफ्टवेयर।

इवोल्यूशन ऑफ पर्सनल कम्प्यूटर्स, फीचर्स/कैरेक्टरिस्टिक्स आफ पर्सनल कम्प्यूटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल पैकेजेज ऑन पर्सनल कम्प्यूटर्स, पॉसी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डॉस, यूनिक्स/ज़ेनिक्स एटमेंटेरा एन्ड ऑपरेशन्स।

प्रश्न पत्र-II प्रोग्रामिंग

प्रोग्राम कम्पाईलर्स एन्ड इन्टरप्रेटर्स, कन्सेप्टस ऑफ इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्राम लॉजिक एन्ड टैक्निक्स, प्रोग्राम एलगोरिथ्म, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कन्सैप्ट, डाटा स्ट्रक्चर्स-ट्री, क्यू-लिस्ट, ऐरे, ग्राफ्स, डाटा सोर्टिंग एन्ड मर्जिंग, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस मैकेनिज्म ऑफ फाइल्स, नम्बर सिस्टमस।

प्रोग्रामिंग कन्सैप्ट इन हाई लेवल लैंग्वेजेज - कोबोल, बेसिक/फोरट्रान।

2.व्यक्तित्व एवं मौखिक परीक्षा (देखिये नियम सं. 24)

(1) अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में इतने न्यूनतम अर्हक अंक अभिप्राप्त किये हों जितने आयोग द्वारा निर्धारित किये जाय उन्हें, आयोग द्वारा स्वविवेक से, साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा जो 10 अंक का होगा।

(2) प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के

सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतलाई गई है। परन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।

(3) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे। परन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी एवं अंशतः अंग्रेजी में देने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिये अनुज्ञात न किया गया हो।

(4) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से इस कारण कुछ अंकों की, जो अन्यथा उसें प्रोदभूत होते, कटौती कर दी जायेगी।

(5) परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गई सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

अनुसूची-V

(देखिये नियम-18)

कम्प्यूटर ऑपरेटरर्स प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और प्रश्नपत्रों का विस्तार

1. अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये अनुज्ञात समय 2 घंटे का होगा।

प्रश्न पत्र का नाम	अंक
(i) कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धान्त और योग्यता परीक्षण	90

प्रश्न पत्र का विस्तार

भाग-I योग्यता परीक्षण

प्राब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजीकल रीजनिंग एन्ड एनालीटिकल रीजनिंग

भाग-II कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त

डैफीनीशन्स एन्ड फंक्शन्स ऑफ वेरियस कम्पोनेन्टस ऑफ कम्प्यूटर्स, प्राइमरी एन्ड सैकण्डरी स्टोरेज कन्सेप्टस, डाटा स्टोरेज मीडिया, इनपुट/ आउटपुट डिवाईसिस एन्ड देयर फंक्शन्स, क्लासीफिकेशन ऑफ कम्प्यूटर्स एंड रिलेटेड करैक्टरिस्टिक्स।

आपरेटिंग सिस्टम, लो एन्ड हाई लेवल लैंग्वेजेज, करैक्टरिस्टिक्स एन्ड डिफैन्सेज इन सिस्टम एन्ड एप्लीकेशन्स सॉफ्टवेयर।

फीचर्स/कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल कम्प्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल पैकेजेज लाइक वर्डप्रोसेसिंग, डाटाबेस, स्प्रेड शीट एटसेटेरा ऑन पर्सनल कम्प्यूटर्स। पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम एन्ड ऑपरेशन्स।

डाटा एन्ट्री/वेरीफिकेशन मैथडस, मोमेंज ऑफ इनपुट डाटा, डाटा करेक्शन्स, इनपुट/आउटपुट कंट्रोल फॉर डाटा वैलिडिटी, ऐरर डिटेक्शन, बैकअप एन्ड रिट्राइवल मेथड्स।

2.व्यक्तित्व एवं मौखिक परीक्षा (देखिये नियम सं. 24)

(1) अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में इतने न्यूनतम **अर्हक** अंक अभिप्राप्त किये हों जितने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये जाय उन्हें, उनके द्वारा स्वविवेक से, साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा जो 10 अंक का होगा।

(2) प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतलाई गई है। परन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।

(3) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे। परन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिये अनुज्ञात न किया गया हो।

(4) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से इस कारण कुछ अंकों की, जो अन्यथा उसे प्रोद्भूत होते, कटौती कर दी जायेगी।

(5) परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गई सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

अनुसूची-V

(देखिये नियम-8)

डाटा एन्ट्री आपरेटर की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और प्रश्नपत्रों का विस्तार

1. अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। गति परीक्षा के लिये अनेज्ञात समय 30 मिनट का होगा।

प्रश्नपत्र/परीक्षण के नाम	अंक
(i) गति परीक्षण	90

प्रश्नपत्र/परीक्षण का विस्तार

डाटा एन्ट्री मशीन पर गति परीक्षण किया जायेगा और अर्ह-परीक्षण के लिये न्यूनतम गति 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा होगी।

2. व्यक्तित्व एवं मौखिक परीक्षा (देखिये नियम सं. 24)

(1) अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में इतने न्यूनतम अर्हक अंक अभिप्राप्त किये हों जितने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये जाय उन्हें, उनके द्वारा स्वविवेक से, साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा जो 10 अंक का होगा।

(2) प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विभि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतलाई गई है। परन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।

(3) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे। परन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिये अनुज्ञात न किया गया हो।

(4) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से इस कारण कुछ अंकों की, जो अन्यथा उसे प्रोद्भूत होते, कटौती कर दी जायेगी।

(5) परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गई सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

[सं. एफ. 5(2) डी.ओ.पी/ए-11/91]
राज्यपाल की आज्ञा से

(अलका काला)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(2)वित्त/सावितेनि/2005 जयपुर, दिनांक : 30.1.2014
परिपत्र संख्या : 2/2014

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–I में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–I में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्द्वारा प्रदान करते हैं:–

(i) After the existing entry at S.No. 424, the following new entry at S.No.425 in Appendix-8 of said rules shall be added as under:-

"425. Technical Director-cum-Joint Secretary, DoIT & C."

आज्ञा से,
(उर्मिला जोशी)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–
1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
10. समस्त कोषाधिकारी 12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
14. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
15. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवावें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
16. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

(अरूण धमीजा)
मुख्य लेखाधिकारी

GFRRULES